भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 799
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जल आपूर्ति/गुणवत्ता/संरक्षण

799. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जल आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं, नदी प्रबंधन, भूजल संरक्षण और जल गुणवत्ता निगरानी में सुधार करने का है ताकि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सतत, सुरक्षित एवं पर्याप्त जल सुनिश्चित किया जा सके;
(ख) यदि हाँ, तो कार्यान्वित की गई परियोजनाओं, आवंटित धनराशि, निर्मित या नवीनीकृत नहरों या जल प्रणालियों, किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों, आयोजित जन जागरूकता अभियानों तथा उक्त जिले में प्राप्त मापनीय परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए समय-सीमा क्या है क्या निगरानी तंत्र मौजूद है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई सुविधा और भूजल संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका उत्प्रेरक होने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा स्कीमों के संदर्भ में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर)" कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, जीडब्ल्यूएमआर के तहत, सीजीडब्ल्यूबी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रणीय क्षेत्र में जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) कार्यक्रम शुरू किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक जारी किया है ताकि वे इसके विकास के नियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया है और कार्यान्वित किया है।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत की गई है और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से नदी, नदी निकायों और अवसंरचना के संरक्षण के साथ-साथ वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

उपरोक्त के अलावा, अमरोहा जिले में गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी यूपीपीसीबी के माध्यम से पाक्षिक आधार पर एक स्थान यानी तिगरी गंगा घाट, अमरोहा पर की जा रही है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल भवन उप-नियम, 2016 जारी किया है, जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश करता है। अब तक, उत्तर प्रदेश सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित भवन उपनियमों में प्रावधानों को शामिल किया है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि अमरोहा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जेजेएम के तहत, परिवारों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाते समय, आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता के मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर

पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रगति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित धन और जल गुणवत्ता परीक्षण शामिल है, जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx लिंक पर देखा जा सकता है।

अमरोहा शहर अमरोहा जिले में अमृत के अंतर्गत आता है। अमृत के तहत, अमरोहा शहर ने 20.38 करोड़ रुपये की 08 परियोजनाएं, अमृत सामंजस्य के तहत 18,333 नल जल कनेक्शन और 27,300 सीवर कनेक्शन/पारिवारिक सेप्टेज कवरेज प्रदान किए हैं। अमृत 2.0 के तहत अब तक अमरोहा जिले में 151.23 करोड़ रुपये की लागत से 10 परियोजनाओं के लिए राज्य के प्रस्ताव को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें 23,585 नए पानी के नल कनेक्शन और 13.20 एकड़ में फैले जल निकाय का नवीकरण शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक अमरोहा जिले के लिए पीडीएमसी के तहत कुल 4013.03 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान-2020 तैयार की है जो देश के जल-अभावग्रस्त क्षेत्रों सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तर की योजना है। मास्टर प्लान में अमरोहा जिले में 0.1705 वर्ग किमी के क्षेत्र में चेक डैम, नाला बांध, सीमेंट प्लग, रिचार्ज शाफ्ट, तालाब आदि सहित लगभग 744 पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और छत पर वर्षा जल संचयन की परिकल्पना की गई है। सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जन जागरूकता के लिए, सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल गुणवत्ता पर जानकारी के प्रसार में और तेजी लाने के लिए भूजल गुणवत्ता वार्षिकी, अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन जारी करने की परिपाटी शुरू की है ताकि सूचित किए गए क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके। रासायनिक विश्लेषण डेटा के पाक्षिक परिणाम 17 जून 2024 से भूजल गुणवत्ता अलर्ट के रूप में राज्य सरकार के साथ साझा किए जाते हैं। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित पानी के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशाला समय-समय पर आयोजित की जा रही है।

कृषि क्षेत्र में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) कार्यक्रम के भाग के रूप में जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए फसल-विविधीकरण सहित विभिन्न भूजल प्रबंधन योजनाओं के बारे में हितधारकों, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश भर में जमीनी स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए जा रहे हैं। अमरोहा जिले में मौजूदा भूजल मुद्दों पर एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनता को वर्षा जल संचयन तकनीकों, जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि जिले में दो कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आईएसए) कार्य कर रही हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के लिए अभियान चलाकर जागरूकता पैदा की जा रही है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****